(123)

20रु. कोर्ट फी Rs.20 COURT FEE भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

समक्ष न्यायालय राजस्व मंडल मध्यप्रदेश ग्वालियर

श्रीमती मीनाक्षी मंसराम I/निगरानी/छिंदवाडा/भू०रा०/2018/01306

पत्नि श्री ओमकार मंसराम जाति गोंड

निवासी पातालेश्वर वार्ड क्र0 4 छिन्दवाड़ा

तहसील व जिला छिन्दवाड़ा

आवेदक

विरूद्ध

श्रीमती प्रतिमा परिहार आयु लगभग 44 वर्ष

पत्नि श्री त्रिभुवनसिंह परिहार

निवासी रॉयल चौक, छिन्दवाड़ा

तहसील व जिला छिन्दवाड़ा

अनावेदक

2 म.प्र. शासन

प्रदीप श्रीवास्तव 12-2-18 आज दि. 12-2-18 प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 8-3-18 नियत।

12-2-18

पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता 1959

आवेदक, जिला कलेक्टर छिन्दवाड़ा द्वारा राजस्व प्रकरण क्रमांक 05/अ–21/2017–2018 में आवेदन पत्र खारिजी आदेश दिनांक 30/10/2017 से व्यथित हो अन्य के अलावा निम्नलिखित तथ्यों और आधारों पर यह पुनरीक्षण प्रस्तुत करती है :–

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में –

1. आवेदक के स्वामित्व व अधिपत्य की ग्राम चोरगांव तहसील चौरई जिला छिन्दवाड़ा में भूमि खसरा नम्बर 197 रकबा 2.55 हेक्टर तथा भूमि खसरा नम्बर 198/3 रकबा 1.777 हेक्टर कुल रकबा 3.832 हेक्टर भू राजस्व हक भूमि स्वामी रूपये 2.09 प0ह0नं0 41 है।
2. आवेदक की सास ह्रदय रोग से ग्रसित है तथा उनके ससुर को गले का कैंसर है एवं दोनों का इलाज वर्तमान समय में नागपुर में चल रहा है।
3. आवेदक के सास ससुर के इलाज में अत्यधिक खर्च होने से आवेदिका कंडिका क्र0 1 में उल्लेखित भूमि को विक्रय करना चाहती है और प्राप्त राशि से उसके सास ससुर का इलाज करना चाहती है।

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - एक/निगरानी/छिंदवाड़ा/भू.रा./2018/1306

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
22/02/2019	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री प्रदीप श्रीवास्तव उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी कलेक्टर के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई आयुक्त द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 23.04.2019 को आयुक्त जबलपुर संभाग जबलपुर के समक्ष उपस्थित हों। सदस्य **आयुक्त जबलपुर संभाग जबलपुर**	